

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
:: मंत्रालय ::

आदेश


भोपाल दिनांक : 22\*/09/2015

आदेश क्रमांक-35/56/93/म./31 :- राज्य शासन जल संसाधन विभाग के लिए एकीकृत दर सूची (Unified Schedule of Rates) 2015 दिनांक 01.11.2015 से लागू करता है ।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 31.10.2015 तक आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिए वर्ष 2009 की एकीकृत दर सूची लागू होगी और ऐसी निविदाओं के किरमी परिस्थितिवश पुनः आमंत्रित करने की दशा में भी वर्ष 2009 की एकीकृत दर सूची लागू होगी भले ही व दिनांक 01.11.2015 के पश्चात आमंत्रित की गई हो ।

3. एकीकृत दर सूची 2015 जल संसाधन विभाग की वेब साइट [www.mpwr.gov.in](http://www.mpwr.gov.in) पर देखी जा सकती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(डी.ए.ए.टेकाम)  
उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग


आदेश क्रमांक-35/56/93/म./31 / 634  
प्रतिलिपि :-


भोपाल दिनांक 22\*/09/2015

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
5. प्रबंध संचालक, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल ।
6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
7. मुख्य अभियंता, बोधी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
8. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश ।
9. वेब मैनेजर, कार्यालय विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

  
URGENT  
23/9/15

  
सचिव

क्रमांक T769  
दिनांक 24-9-15  
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग